28-7-19 पत्रावली प्रस्तुत अभिभाषक तक है आज न्यायिक कार्य स्थगित रहा। पत्रावली पूर्व आज्ञानुसार दिनांक 28.3.19 को पेश हो।

28.3-19 पत्रावली पेश। वकील अपीलांट को हिदायत दी जाती है कि आगामी तिथि से पूर्व तामील से शेष रेस्पोंडेंटस के रजिस्टर्ड नोटिस पेश करें अन्यथा आगामी तिथि पर आदेश 9 नियम 8 सी.पी.सी. के तहत अपील खारिज कर दी जायेगी। स्टाम्प का रिकार्ड प्राप्त शामिल पत्रावली रहे / तलब किया जावें। पत्रावली अगले तलबी दिनांक 8.7-19 को पेश हो। पत्रावली में पूर्व में यदि स्थगन है तो उसे आगामी तिथि तक बढ़ाया जाता है।

8-7-19 पत्रावली प्रस्तुत वकील अपीलांट/रेस्पो. उपस्थित पीठासीन अधिकारी महोदय आज ...[illegible] पर है। अतः पत्रावली पूर्व आज्ञानुसार दिनांक 26-8-19 को पेश हो।

26-8-19 पत्रावली प्रस्तुत वकील अपीलांट/रेस्पो. उपस्थित पीठासीन अधिकारी महोदय आज ...[illegible] पर है। अतः पत्रावली पूर्व आज्ञानुसार दिनांक 12-9-19 को पेश हो।

12-9-19 पत्रावली प्रस्तुत वकील अपीलांट/रेस्पो. उपस्थित पीठासीन अधिकारी महोदय आज ...[illegible] पर है। अतः पत्रावली पूर्व आज्ञानुसार दिनांक 27-11-19 को पेश हो।

27.11.19 पत्रा० पेश हुई। अपील अपीलान्ट उप० रेस्पो० को शेष नोटिस पेश करे। पेशी होने पर जारी हो। सह कार्यालय तलब की जावे। पश्चात दि० 29.1.20 को पेश हो।

29-1-20 पत्रावली पेश। वकील अपीलांट एवं अपीलांट स्वयं को कई बार आवाज दिलाई गई न्यायालय समय सांयकाल 6 बजे तक बार बार दिलाई गई । इन्तजार किया गया उसके बावजूद अपीलांट एवं उनके अधिवक्ता अनुपस्थित रहे फलस्वरूप अपील अपीलांट अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज की जाती है। निर्णय सर इजलास सुनाया गया । प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी